

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0023 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/02/2024 17:47 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|-----------------|--|-------------------|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(1)(b) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(2) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 12/01/2024 Date To (दिनांक तक): 12/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से): 18:00 बजे Time To (समय तक): 18:47 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/02/2024 Time (समय): 17:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 09/02/2024 17:47:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 15 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): Rasidpura Toal Naka Siker

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Suresh Chand

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 24/08/1970 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|-------|---------|-----------|
|-------|---------|-----------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|------------------|------------------------------|---|
| 1 | वर्तमान पता | Jakharana, Behror, बहरोड़ सदर , BHIWADI, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | Jakharana, Behror, बहरोड़ सदर , BHIWADI, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9414623697

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | Jitendra Kumar Meena | | पिता:Richpal Sinh | 1. Ward No 51,Radhakishanpura,SIKAR,RAJ |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 2,19,500.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,19,500.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|--------------------|--------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2024 को मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये विश्वसनीय सूत्रों से एक सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि श्री जितेन्द्र कुमार मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर अपनी निजी गाडी नम्बर आरजे-23 सीडी-1693 से करीब 12.20 पीएम पर अपने कार्यस्थल पदमपुर में स्थित अपने सरकारी आवास से सीकर स्थित अपने निवास स्थान के लिये रवाना हुये है, जो अवैध रूप से अर्जित राशि करीब 2-3 लाख रूपये अपने साथ लेकर जा रहे है" सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने पर निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पूर्णसिंह महरिया, श्री निरजंन सिंह व स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री मूल चन्द हैड कानि. नं. 123, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386, श्री सुरेश चन्द चालक कानि. नं. 60 के मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय डिजीटल वॉर्ड्स रिकार्डर में नया मेमौरी कार्ड डालकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनो से एसीबी कार्यालय सीकर से समय 05.30 पीएम पर रवाना होकर रसीदपुरा टोल नाका पर 6:00 पीएम पर पहुंच कर नाकाबन्दी की गई तथा श्री जितेन्द्र कुमार मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के वाहन का इन्तजार किया गया। समय करीब 06.47 पीएम पर सूत्र द्वारा बताये गये वाहन संख्या आरजे-23 सीडी-1693 के नाके पर आने पर वाहन को रूकवाया गया। उक्त वाहन में ड्राइविंग कर रहे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उसको उद्देश्य से अवगत कराकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रिछपाल सिंह जाति मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नं. 51 राधाकिशनपुरा पुलिस थाना उधोग नगर सीकर हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 8949326356 होना बताया। उक्त श्री जितेन्द्र कुमार मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के वाहन की तलाशी लेनी है। मौके पर ट्रेफिक बहुत ज्यादा है। अतः उक्त वाहन को टोल नाके पर साईड में खड़ा करवाकर मौके पर श्री जितेन्द्र कुमार मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को वाहन से नीचे उतरवाकर उक्त वाहन नम्बर आरजे-23 सीडी-1693 की गवाह श्री निरजंन सिंह से तलाशी लिवाई गई तो ड्राइवर सीट के पिछे वाली सीट पर दो कपड़े के थैले(बेग) रखे थे जो श्री जितेन्द्र कुमार मीणा ने स्वयं के होना बताया जिनमें स्वयं के इस्तेमाली कपड़े होना बताया। उक्त कपड़े के थैलो की दोनो गवाहान से गाडी से बाहर निकलवाकर तलाशी लिवाई गई तो एक कपड़े के थैले में कपड़ो के बीच में प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में 500-500 रूपये की चार गडडीया दिखाई दी। जिनको दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो प्रत्येक गडी में 500-500 रूपये के 100-100 नोट कुल 400 नोट 2 लाख रूपये होना पाया गया। दूसरे थैले की तलाशी ली गई तो इस्तेमाली कपड़े पाये गये। कपड़े के थैले में मिले उपरोक्त 2 लाख रूपये के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी से पुछने पर बताया कि "उक्त दो लाख रूपये श्री विकास विश्वाई, फायरमैन, नगरपालिका पदमपुर को मैंने करीब एक महिने पहले उधार दिये थे, जो विकास विश्वाई ने मेरे को करीब दस दिन पहले मेरे क्वाटर पर आकर मेरे द्वारा उधार दिये गये उक्त दो लाख रूपये लोटाये थे। जिनको मैं आज साथ लेकर आया हूँ।" मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी से उक्त रूपयो के सम्बन्ध में कोई लिखापढी व किसी के सामने देने के सम्बन्ध में पुछने पर श्री जितेन्द्र कुमार मीणा ने कहा कि उक्त दो लाख रूपये के सम्बन्ध में कोई लिखापढी नही की गई थी एवं न ही किसी के सामने रूपये दिये थे और वापिस लिये थे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री जितेन्द्र कुमार मीणा से विकास विश्वाई का पुरा नाम पता एवं मोबाईल नं. पुछे तो जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी ने श्री विकास विश्वाई के मोबाईल नं. 8058435716 होना बताया एवं कहा कि मैं उसका पुरा नाम पता नही जानता वह श्रीगंगानगर में रहता है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल से श्री विकास विश्वाई के मोबाईल नं. 8058435716 पर कॉल किया तो उसका मोबाईल स्वीच ऑफ होना पाया गया। तत्पश्चात गाडी में पिछे की सीट पर कोट रखने के कवर में दो कोट पाये गये जिनकी गवाहान से तलाशी लिवायी गई तो एक कोट की जेब में 500-500 रूपये के 39 नोट 19,500 रूपये पाये गये, जो श्री जितेन्द्र कुमार मीणा ने अपने स्वयं के खर्चे के होना बताया। उक्त वाहन की पिछे की डिग्गी को खोलकर चैक किया गया उसमें एक कागज के डिब्बे में चार कांच के गिलास, एक इस्तेमाली कुकर, एक केनॉन कम्पनी का प्रिन्टर, एक जुता जोड़ी एवं एक हवाई चप्पल इस्तेमाली एवं एक कागज के डिब्बे में पैक एक सेनेटाईजर स्प्रे मशीन मिली जो उक्त सामान श्री जितेन्द्र कुमार ने स्वंय का होना बताया। तत्पश्चात श्री जितेन्द्र कुमार की जामा तलाशी गवाहान श्री पूर्णसिंह महरिया से

हुये कोट की साईड की जेब में 2120 रूपये पाये गये जिनके सम्बन्ध में पुछने पर स्वयं के खर्चे के होना बताया। पेन्ट की पहनी हुई जेब में एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी जिसमें सीम नम्बर 8949326356 होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मय श्री जितेन्द्र कुमार मीणा एवं उसके वाहन के मौके से समय 07.30 पीएम पर रवाना होकर 08.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय सीकर पर पहुँचे। एसीबी कार्यालय पहुँचने के बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री विकास विश्वाई के मोबाईल नं. 8058435716 पर मेरे मोबाईल नं. 9079554697 से समय करीब 08.12 पीएम फोन किया तो विकास विश्वाई ने फोन नहीं उठाया। तत्पश्चात विकास विश्वाई के मोबाईल नं. 8058435716 से मेरे मोबाईल नं. 9079554697 पर समय करीब 08.13 पीएम पर फोन आने पर मैंने श्री विकास विश्वाई को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री विकास कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति विश्वाई उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11, गुरु नगर पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर हाल लिडिंग फायरमैन नगरपालिका पदमपुर हाल चार्ज भूमि शाखा नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। श्री विकास कुमार को मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पदमपुर को रूपये देने के सम्बन्ध में पुछा तो विकास कुमार ने बताया कि "जितेन्द्र कुमार मीणा, रूओ साहब से मेरा किसी प्रकार का कोई रूपयो का लेनदेन नहीं हुआ है।" श्री विकास कुमार से हुई उक्त वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। गाडी की तलाशी के दौरान कपडे के थैले में कपडो के बीच में मिले दो लाख रूपयो एवं कोट के कवर में रखे कोट की जेब में मिले 19,500 रूपये कुल 2,19,500 रूपयों के बारे में श्री जितेन्द्र कुमार मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषपूर्ण नहीं पाये जाने पर तथा श्री विकास कुमार से उसके मोबाईल पर हुई वार्ता के मध्यनजर उक्त 2,19,500 रूपयों को संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया। श्री जितेन्द्र कुमार मीणा की जामा तलाशी के दौरान कोट की जेब में मिले 2120 रूपये एवं मोबाईल फोन श्री जितेन्द्र कुमार को वापिस लौटाये गये। 2,19,500 रूपयों के अलावा कोई दस्तावेजात एवं राशि जप्त नहीं की गई। चैकंग कार्यवाही के दौरान श्री जितेन्द्र कुमार मीणा द्वारा श्री विकास विश्वाई के उपलब्ध करवाये गये मोबाईल नम्बर 8058435716 पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9079554697 से समय करीब 08.12 पीएम फोन किया तो विकास विश्वाई ने फोन नहीं उठाया। तत्पश्चात विकास विश्वाई के मोबाईल नं. 8058435716 से मेरे मोबाईल नं. 9079554697 पर समय करीब 08.13 पीएम पर फोन आने पर रूपयों के संबंध में सत्यापन किया तथा मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उक्त रिकार्डेड वार्ता का गवाहान के समक्ष फर्द रूपान्तरण किया जाकर वार्ता के मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर पैकिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। मोबाईल फोन पर की गई उक्त वार्ता में श्री विकास कुमार ने श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पदमपुर से किसी भी प्रकार का रूपयो का लेनदेन नहीं होना बताया। इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही के दौरान श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से बरामदशुदा 2,19,500 रूपये के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध एक दिवसीय चैक पिरियड मानते हुये उनसे बरामद 2,19,500 रूपये से उनके खिलाफ जुर्म धारा 13(1) (बी), सपठित 13 (2) पीसीएक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित है। (सुरेशचन्द्र) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द्र, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने ई-मेल प्रेषित से की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रिद्धपाल सिंह, हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम रिपोर्ट 102 दिनांक 09.02.2024 दर्ज है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक:- 118-21 दिनांक 09.02.2024 प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर। 2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Ravindra Singh Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): Shekhawat (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|----------------|------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 05/05/1985 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)